220वें सत्र के समापन पर सभापति का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

राज्य सभा का 220वां सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। यह सत्र 26 जुलाई, 2010 को प्रारंभ हुआ था और आवश्यक सरकारी कार्य निपटाने के लिए इसकी अवधि दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी।

सत्र के दौरान उनसठ नये सदस्य इस सभा में शामिल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में वे इस सभा में अपना मूल्यवान योगदान देंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उनमें से 26 सदस्य पहले ही अपना प्रथम भाषण दे चुके हैं।

इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधान पारित किया गया है। सत्र में सरकारी कार्य निपटाने के अलावा सदस्यों को सात ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और दो अल्पकालिक चर्चाओं के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला ।

मैंने महासचिव को इस सत्र के संबंध में सांख्यिकी संबंधी सूचना सभी संबंधित लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

सत्र के दौरान प्रभावशाली कार्य निपटाये जाने के बावजूद सभा में पांच दिनों तक कोई काम नहीं किया जा सका। इसके अलावा, कई बार व्यवधानों और स्थगनों के परिणामस्वरूप आठ प्रश्नकालों का समय नष्ट हो गया।

यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब दशकों पहले 'कार्य संचालन संबंधी नियम' बनाये गये थे तो उस समय यह कल्पना नहीं की गयी थी कि अनुभूत चिंताएं अथवा शिकायतें, कार्यवाही में व्यवधान के जरिए मुखर होंगी। यह काम अब नियमित रूप से किया जा रहा है जो अशान्त करनेवाला है। ऐसी प्रवृत्ति से अलग-अलग सदस्यों के अधिकारों को आघात पहुंचता है, संसद की गरिमा कम होती है और इसकी सार्वजनिक आलोचना भी हुई है।

पहले, सभापीठ ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर ऐसी मुखरता की जरूरत को समझते हुए तथा उन विषयों के अलावा जो नियम 180 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तथाकथित 'शून्यकाल' के जरिए एक समाधान खोजना चाहा था, जिसमें अधिक से अधिक दस सदस्य तीन मिनट तक बोल सकते थे। ऐसा लगता है कि इससे भी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सका है और परिणामस्वरूप प्रश्नकाल, जो कि अलग-अलग सदस्यों को सूचना एवं जवाबदेही मांगने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम के रूप में उपलब्ध है, में निश्चय ही नियमित रूप से व्यवधान होता रहता है।

यह बात स्पष्ट है कि हमें इस मामले पर मिलजुल कर सोचने और प्रश्नकाल को ऐसे व्यवधानों से बचाने के लिए संभावित विकल्प खोजने की जरूरत है। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि अन्य कार्यों का समय नष्ट किए जाने की क्षतिपूर्ति सामान्य कार्य घंटों से अधिक बैठकें करके की जा सकती है परंतु यह प्रश्नकाल ही ऐसा है जिसका समय व्यवधानों में अपूरणीय रूप में नष्ट हो जाता है। इसलिए, सभापीठ कार्य की प्रतिदिन की मदों को पुनः समयबद्ध करने के संबंध में अपना विचार-विमर्श करते रहेंगे ताकि अनुभूत चिंताओं तथा दिवस के लिए निर्धारित सामान्य कार्य के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। एक विकल्प यह है कि कार्यवाही को 'शून्यकाल' के साथ पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू किया जाए और प्रश्नकाल को दिन में बाद में रखा जाए।

मैं 'सभा के नेता', 'विपक्ष के नेता', विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों को कुल मिलाकर सभा के कार्यकरण को निर्बाध बनाने हेतु उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ।